

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 571

दिनांक:- 24-06-2025

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव नियुक्त कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	नाम कनिष्ठ लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान कार्यालय	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था
1.	नवीन कुमावत	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम 1, उदयपुर	एम.ए. द्वितीय वर्ष 2025 (विषय-राजनीति विज्ञान) स्वयंपाठी	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 571

दिनांक:- 24-06-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, सीकर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री नवीन कुमावत, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, सीकर।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)